

तारीख
हुक्म

17/5/22

~~सकृताफ पारीकेन 35-1~~

~~साक्षी वारी हेतु इन्जिन भवलय
प्रदान किया जागा है, भाई-रा,~~

~~साक्षी वारी हेतु कोई इन्जिन
नहीं होगा। परायणी साक्षी वारी
हेतु दि. 24-5-22 को प्रेषण~~


नरेश (अधीन)
सहायक जज
(SDJ) बालीपत्र

24-5-22 वारी एवं उनके वकील में से
कोई उपस्थित नहीं।

भारत न्यायालय व्यवस्था में एक एक
तीन का एक-एक भावनें दिलवाये
जाते और न्यायालय उठने से पूर्व पुनः
न्यायालय दिलवाये जाते के अख्तियार वारी
एवं उनके वकील में से किसी के
भी उपस्थित नहीं होने पर बाद
न्याय संपन्न एवं न्याय पत्रों में वारी
किया जाता है।

परायणी न्यायालय शुभारंभ के अख्तियार
संपन्न है।


नरेश (अधीन)
सहायक जज
(SDJ) बालीपत्र